[9.1 · विक्रेता / कंपनी को उपभोक्ता नोटिस] — ख़ाली जगह (____) भरें, कोष्ठक वाले संकेत हटा दें, फिर प्रिंट करें। यह लाइन भी हटा दें।

सेवा में,

_____ (दुकान/कंपनी का नाम)

_____ (पता / ईमेल)

विषय: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत दोषपूर्ण सामान/सेवा में कमी के संबंध में नोटिस।

महोदय,

1. मैंने दिनांक _____ को आपसे _____ (सामान/सेवा) ₹_____ में ख़रीदा/ली। बिल/ऑर्डर संख्या: _____

2. समस्या: _____

3. मैंने दिनांक _____ को आपसे शिकायत की (शिकायत संख्या _____), पर अब तक समाधान नहीं हुआ।

यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत दोषपूर्ण सामान/सेवा में कमी है।

अत: माँग है कि यह नोटिस मिलने के 15 दिन के भीतर:

(क) सामान बदलें/ठीक करें, या ₹_____ की पूरी रक़म वापस करें;

(ख) हुए नुक़सान व परेशानी के लिए ₹_____ हर्जाना दें।

ऐसा न होने पर मैं ज़िला उपभोक्ता आयोग में शिकायत करूँगा/करूँगी।

संलग्नक: 1. बिल/ऑर्डर की कॉपी 2. वारंटी कार्ड 3. पिछली शिकायत/ईमेल की कॉपी 4. फ़ोटो

स्थान: _____

तारीख़: _____

नाम: _____

पिता/पति का नाम: _____

पता: _____

मोबाइल: _____

हस्ताक्षर/अँगूठा निशान: _____